ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-10* January-2022
Anthology : The Research

बाल और किशोर अपराध-एक चुनौती पूर्ण समस्या
Child and Juvenile Delinquency - A Challenging Problem

Paper Id: 15564 Submission Date: 10/01/2022, Date of Acceptance: 20/01/2022, Date of Publication: 24/01/2022

मीरा सिंह
एसोसियेट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग,
आगरा कॉलेज, आगरा,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

पिछले कुछ वर्षो में बाल और किशोर अपराध के साथ-साथ बच्चों में विकृत असामान्य व्यवहार के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बच्चों की ओर से आक्रामक मनोवृत्ति का प्रदर्शन करने और यहाँ तक कि हिंसा, हत्या, दुष्कर्म के घटनाओं में शामिल होने की खबरें अब आये दिन दिखायी पड़ रही हैं। समस्या गांव से लेकर नगर और गरीब से लेकर अमीर, सभी तबकों में जिस तरह से फैल रही है वह एक महामारी का रूप धारण कर सकती है। इस खतरनाक हालत की वजहें जानने की कोशिश के साथ उनके समाधान में शिक्षा-व्यवस्था की भूमिका पर गंभीरता से विचार होना चाहिये। इस क्रम में यह भी देखा जाना चाहिये कि क्या सिर्फ बच्चों का ही शिक्षण पर्याप्त है ? पिछले कुछ सालों में भारतीय समाज काफी बदल गया है। नगरीकरण, शिक्षा, रोजगार इत्यादि के लिए नई जगहों में प्रवास, टूटते संयुक्त परिवार और बढ़ते हुये एकल परिवार के साथ आधुनिक जीवन शैली ने दवाबों को जन्म दिया हैं। ऊपर से कोढ में खाज की तरह टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया के उफान ने बच्चें को एक अंधी सुरंग में ढकेल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बाल और किशोर अपराधियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है।

In the last few years, there has been a phenomenal increase in cases of child and juvenile delinquency as well as perverted abnormal behavior among children. There are reports of children displaying aggressive attitude and even being involved in incidents of violence, murder, rape. The way the problem is spreading from village to city and from poor to rich, it can take the form of an epidemic. Along with trying to know the reasons for this dangerous condition, the role of education system in their solution should be seriously considered. In this sequence it should also be seen whether the education of children alone is sufficient. Indian society has changed a lot in the last few years. Modern life style with urbanization, migration to new places for education, employment etc., broken joint family and growing nuclear family has given rise to pressures. Like leprosy from above, the boom of television, internet, social media has pushed children into a dark tunnel, resulting in a huge increase in the number of juvenile and juvenile offenders.

मुख्य शब्दः बाल अपराध, ज्यूनाइल ज्यूडिसप्रूडेन्स, न्यायपालिका पुलिस, किशोर अपराध।
Juvenile Delinquency, Juvenile Judiciary, Judiciary Police, Juvenile Delinquency.

प्रस्तावना

बाल अपराध किसी राज्य के कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम आयु वाले बालक द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार है जिससे उस राज्य की किसी आपराधिक संहिता तथा साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक संहिताओं एवं मूल्यों का उल्लघंन होता है और जिसके लिये कानूनी कार्यवाही व दण्ड व्यवस्था वयस्कों से भिन्न होती है। बाल और किशोर अपराध आधुनिक संसार की एक गम्भीर समस्या है। आज तक किसी विशेष देश या समाज की समस्या नहीं है, प्रत्युत विश्वव्यापी समस्या है। वर्तमान समय में विषम व जटिल सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से सम्बद्ध आधुनिक नगरीय तथा औद्योगिक परिवेश में बाल और किशोर अपराधों के साथ-साथ बच्चों में विकृत असामान्य व्यवहार के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बच्चों की ओर से आक्रामक मनोवृत्ति का प्रदर्शन करने और यहाँ तक कि हिंसा, हत्या, दुष्कर्म की घटनाओं में शामिल होने के समाचार अब आये दिन दिखायी पड़ते है। औद्यौगीकरण तथा नगरीकरण, शिक्षा, रोजगार इत्यादि के लिए नई जगहों में प्रवास, टूटते संयुक्त परिवार और बढ़ते हुए एकाकी परिवार के साथ आधुनिक जीवनशैली ने परम्परागत भारतीय सामाजिक परिवेश को परिवर्तित कर डाला है। परिणामतः भारत वर्ष में बाल और किशोर अपराध तीव्र गति से एक गम्भीर संकट का रूप धारण करता जा रहा है। तथा देश के विभिन्न भागों में जो आज से कुछ वर्ष पूर्व अनिवार्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के ही एक अंग थें, प्रगतिशील औद्योगीकरण के साथ-साथ यह समस्या अनेक पाश्चात्य देशों की भाँति शीघ्र ही समानुपाती हो जायेगी।

अध्ययन का उद्देश्य

आज बड़ी विडंबना यही है कि बच्चे एवं किशोर हकीकत के सामूहिक-सामाजिक जीवन से अलग-थलग हो रहे है। बाल और किशोर अपराध के कारणों का अध्ययन करना, सामान्य मानव जीवन पर इनके प्रभावों, समाधान के विविध आयामों पर प्रकाश डालना तथा बाल एवं किशोर अपराधियों के भविष्य को संवारना ही प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत अध्ययन बाल और किशोर अपराध जैसे राष्ट्रीय समस्या का समाजशास्त्रीय विशलेषण है। विगत् वर्षो में बाल अपराध की घटनायें जटिल एवं औद्यौगिक समाजों में तेजी से बढ़ी हैं। कम उम्र के बालक-बालिकाओं में विभिन्न अपराधों के प्रति बढ़ता रूझान शोध का विषय है। इसी क्रम में सिहं (2008) के अनुसार बाल-अपराध किसी राज्य के कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम आयु वाले बालक-बालिकाओं द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार जिससे उस राज्य की किसी आपराधिक संहिता तथा साथ ही सामाजिक, सास्ंकृतिक संहिताओं एवं मूल्यों का उल्लघंन होता है और जिसके लिए कानूनी कार्यवाही व दण्ड व्यवस्था वयस्कों से भिन्न होती है। महाजन एवं महाजन (2015) के अनुसार, बाल अपराध नाना प्रकार के होते हैं तथा इनकी सूची बनाना एक कठिन कार्य है। अनैतिक एवं अशोभनीय व्यवहार करना, चोरी करना, जुआ खेलना, मद्यपान और मादक द्रव्यों का व्यसन करना, दंगा करना, विश्वासघात करना, स्कूल से भाग जाना, अनैतिक एवं बुरे लोगों की संगति में रहना, रात्रि को निरूद्वेश्य घूमना तथा बीड़ी-सिगरेट पीना आदि विविध प्रकार के समाज-विरोधी कार्य बाल एवं किशोर अपराध कहलाते हैं। आहूजा एवं आहूजा (2006) का मानना है कि बाल अपराध के व्यवहार को जन्म देने वाले पारिवारिक पर्यावरण का विश्लेषण टूटे परिवार, पारिवारिक तनाव, माता-पिता के द्वारा तिरस्कार, माता-पिता का नियंत्रण और पारिवारिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है।

इस समस्या का अत्यन्त भयानक पक्ष यह है कि बाल अपराध किशोर तथा वयस्क अपराध का प्रशस्त प्रवेशद्वार है। यह एक सोपान है जहाँ बालक अपराधिकता का प्रथम पाठ पढ़ता है व अपराध करना सीखता है तथा आपराधिक कृत्य करने में दक्षता प्राप्त करता है। बाल्यावस्था व किशोरवस्था में व्यक्ति प्रायः सम्भवतः चंचल, नटखट तथा दुस्साहसी होता है। अतः वह जीवन के विभिन्न प्रलोभनों की ओर शीघ्रता से आकर्षित हो जाता है। यही कारण है कि उसमें अपराधिता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, परन्तु आज का बालक व किशोर कल का वयस्क नागरिक होने के कारण यदि उसकी आपराधिक प्रवृत्ति पर समायोचित नियंत्रण नहीं रखा गया तो आगे चलकर वह अभ्यस्त अपराधी बन सकता है। इसी आशंका से प्रेरित होकर आज विश्व के प्रायः सभी देशों में बाल व किशोर अपराधियों को वयस्क अपराधियों से भिन्न समझा जाता है, और इसके लिए पुलिसतंत्र,न्यायालयतंत्र, कारावासतन्त्र से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए नवीन दर्शन प्रदान किया गया है। भारत में किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार बाल अपराध का तात्पर्य ऐसे अपराधों से है जो 18 वर्ष से कम आयु वाली लड़की या 16 वर्ष से कम आयु वाले लड़के द्वारा किये गये हो, परन्तु किशोर न्याय (देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 द्वारा अब यह आयु दोनों लड़के और लड़की के लिये 18 वर्ष कर दी गई है अर्थात् जिस बालक या बालिका ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उसे अब बाल-अपराधी माना जाता है। बाल-अपराध विभिन्न प्रकार के होते है। अनैतिक और अशोभनीय व्यवहार करना, चोरी करना, जुआ खेलना, मद्यपान और मादक द्रव्यों का सेवन करना, दंगा करना, विश्वासघात करना, स्कूल से भाग जाना, अनैतिक एवं बुरे आदमियों की संगति मंे रहना, रात्रि को निरूद्वेश्य घूमना, बीड़ी-सिगरेट पीना आदि विविधप्रकार समाज-विरोधी कार्य बाल-अपराध कहलाते है।

भौतिकता एवं आधुनिकता की अँधी दौड़ में शामिल माता-पिता के पास आज बच्चों के लिए समय नहीं है और न ही उन्हें यह पता है कि आज की परिस्थितियों जैसे इटंरनेट सोशल मीडिया की आँधी में बच्चों का कैसे मार्गदर्शन करें ? यूरोपीय देशों ने इस समस्या के लिए सामुदायिक बाल केन्द्रों की स्थापना की है। इनमें स्कूल से आने के बाद बच्चों को व्यस्त रखने से लेकर माता पिता को भी प्रशिक्षित किया जाता है। भारत में संसाधनों के अभाव में ऐसी व्यवस्था निकट भविष्य में संभव तो नहीं है, लेकिन अभिभावकों के लिए ग्राम पंचायतों, सामुदायिक केन्द्रों में मानसिक वर्कशाप-व्याख्यान होने चाहिए। इसके लिए गैर-सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है। धनाढय परिवारों में बच्चों के पास इतना पैसा होता है कि उनको पता नहीं चलता कि कैसे खर्च किया जाये। इसलिए वे अंवाछित आदतों के शिकार हो जाते हैं। परिवार के स्थान पर किसी वैकल्पिक संस्था के अभाव में आज का किशोर अकेले ही नैतिकता की लड़ाई लड़ता है जो अपराध रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाल एवं किशोर अपराध यद्यपि समाज के लिए एक भयंकर चुनौतिपूर्ण समस्या है, तथापि इस समस्या के निवारणार्थ अब तक किसी स्वरूप मार्ग का अन्वेषण नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार 2103 के आँकड़े दिखाते हैं कि भारतीय दंड संहिता आई0पी0सी0 के तहत बाल अपराधियों के खिलाफ 43,506 और विशेष स्थानीय कानून के तहत किशोरों द्वारा जिनकी आयु 16-18 वर्ष के बीच है उनके खिलाफ 28,830 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 16 दिसम्बर 2013 को निर्भया के साथ हुये अमानवीय सामूहिक दुष्कर्म ने पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना को गहरा आघात दिया। पाँच अपराधियों में एक बाल अपराधी था और वो ही सबसे क्रूर था।

किशोरों द्वारा 2018-2020 में होने वाले अपराधों की संख्या -

राज्य	2018	2019	2020	कुल अपराधों में बाल अपराधों की संख्या (%)
पूर्ण राज्य	28392	29022	26988	6.2
केन्द्र शासित राज्य	3199	3247	2780	24.1
राष्ट्रीय	31591	32269	29768	6.7

स्त्रोत- राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो- गृह मंत्रालय 2021

बाल अपराध के कारण

बाल-अपराध एक सामाजिक समस्या है। अतः इसके अधिकॉश कारण भी समाज में ही विद्यमान है। इसके प्रमुख कारणों को निम्नांिकत श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

बाल अपराध के पारिवारिक कारण

1. भग्न अथवा टूटा परिवार
2. दुर्व्यसन परिवार
3. अपराधी प्रतिमानों वाले परिवार
4. अनैतिक परिवार
5. माता व पिता का शून्य व्यवहार
6. परिवार में निर्धनता
7. छोटा घर अथवा गोपनीयता का अभाव।

शारीरिक एवं व्यक्तिगत कारण

1. शारीरिक असमानतायें
2. शारीरिक दोष
3. बीमारी
4. वंशानुक्रमण
5. अपूर्ण आवश्यकतायें।

मनोवैज्ञानिक कारण

सामाजिक अनुसंधानकर्त्ता, विशेषतः मनौवैज्ञानिक चिकित्सक, मस्तिष्क को बाल-अपराध का एक महत्वपूर्ण कारक समझते है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण निम्न है-

1. मानसिक हीनता
2. संवेगात्मक संघर्ष और अस्थिरता
3. कम बुद्वि वाले तथा बड़े बच्चे।

आर्थिक कारण

1. निर्धनता तथा पराश्रयता
2. बेरोजगारी
3. निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति
4. व्यापार-चक्र

सामुदायिक कारण

1. बुरा पड़ोस
2. स्वास्थ्यप्रद मनोरंजन का अभाव
3. स्कूल की परिस्थिति
4. नगरीकरण
5. आपत्तिजनक साहित्य
6. अपराधी क्षेत्र

समाधान के विभिन्न आयाम

बाल एवं किशोर अपराधियों की समस्या के समाधान हेतु विविध आयाम हो सकते है। इस संदर्भ में पहला सुझाव शिक्षा से सम्बन्धित स्कूली शिक्षा में प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्वों का समावेश अर्थात् नैतिक और मूल्यपरक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाय। विगत वर्ष सी0बी0एस0ई0 बोर्ड ने अपने से जुडे स्कूलों मे कक्षा छह से आठ के विद्यार्थियों के लिए तीन वर्षीय मूल्यपरक कोर्स का प्रस्ताव रखा है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को भाईचारा विनय और करूणा से सम्बन्ध मानवीय गुणों की शिक्षा दी जायेगी। दूसरा सुझाव है कि नौवीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए श्रम सम्बन्धित पाठ्यक्रम की अनिवार्यता हो। हमारे गुरूकुलों में राजपुत्र से लेकर सामान्य बालक को भी लकड़ी बीनने से लेकर आश्रम व्यवस्था मे ंहाथ बंटाने के विभिन्न श्रम से संम्बन्धित कार्य करने पडते थे।

आधुनिक युग में स्वामी विवेकानन्द से लेकर गाँधी जी ने भी श्रम के महत्व पर जोर दिया है। यह ठीक है कि आधुनिक युग में लकड़ी बीनने जैसे कार्य संभव नहीं है, लेकिन श्रम सम्बन्धित शिक्षा में बागवानी या विभिन्न हस्तकलाओं जैसी चीजों का ज्ञान कराने से एक तरफ भविष्य में रोजगार की संभावना रहेगी तो दूसरी तरफ श्रम की महत्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव भी बच्चों में पनपेगा। इस सबसे उनकी विपुल उर्जा कुप्रभावों की ओर न जाकर एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर होगी। बाल एवं किशोर अपराध को घटाने में सार्वजनिक कार्यक्रमों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अतएवं इस पर बल देना तर्कसंगत है। सामान्य शैक्षणिक सुधार, अभिभावकीय शिक्षा, विद्यालय के उपरान्त अवकाश का सदुपयोग, लोकजीवन का समुन्नयन, लैंगिक समस्याओं का समुचित विवेचन, समाजीकरण पर यथेष्ठ वल, समुचित रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, बाल निर्देशन ग्रह आदि से जो सामान्य जनजीवन समुन्नत होता है, उसमे पर्यावरण में वांछित सुधार आ सकता है और तदनुसार बाल एवं किशोर अपराध मंे भी कमी हो सकती है।

पुलिस का भय

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के आँकड़े यही कह रहे है कि देश में किशोर अपराधों की स्थिति भयावह होती जा रही है। बाल एवं किशोर अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस के भी कुछ कार्य है।

1. पहला यह है पेट्रोलिंग अर्थात गश्त। बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यह कारगर होती है।
2. दूसरा है पुलिस पिकेटिंग यानी सड़कों या अन्य क्षेत्रों मंे पुलिस कर्मियों की मौजूदगी सुनिस्रित हो। इससे बाल अपराधों में कड़ा संदेश जाता है और उनका मनोवल कम हो जाता है।
3. तीसरा है सर्विसलांस। इसमे ंकिशोर अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है।

आज आवश्यकता इसकी भी है कि पुलिस नेतृत्व, अधीनस्थ कर्मचारियो ंको समयबद्व लक्ष्य दें और उसे पूरा करने में उनका मार्गदर्शन और सहयोग करे।

मीडिया की भूमिका

इसके अतिरिक्त मीडिया के भी शिक्षण की जरूरत है जिस तरह की चीजें विभिन्न मीडिया माध्यम से परोस रहे हैं उसके प्रति उन्हें आगाह करने का वक्त आ गया है इसके लिए मीडिया संगठनों को चार-छह माह में नियमित तौर पर रिव्यू या वर्कशाप जैसा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। इस तरह का आदेश सूचना-प्रसारण मंत्रालय या अन्य मीडिया संगठन दे सकते हैं। इसी क्रम में मीडिया नीतिशास्त्र का पेपर मीडिया कोर्स का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

भारत में 6 से 15 वर्ष आयु समूह में करीब 28 करोड़ बच्चे हैं। उनका मानसिक विकास सही तरह से हो और वे देश की आवश्यकतानुरूप विकसित हों, यह चिंता सभी को करनी चाहिए।

कानून का भय

किशोरों द्वारा किये जाने वाले जघन्य अपराधों (दुष्कर्म) में अभियुक्त की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष की गई थी। पॉक्सों अधिनियम में पहले ही सख्ती की जा चुकी है। दुष्कर्म दंडनीय ही नहीं होते वरन् वे समाज के लिए पीड़ादायक भी होते हैं। वे राष्ट्र के लिए शर्म और गहन व्यथा का विषय भी होते है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के बाहर लंदन में भी इन घटनाओं को लज्जानक बताया। वह देश लौटे उसी दिन मंत्रीपरिषद बैठी जिसने क्रिमनल लॉ (संसोधन) अध्यादेश पर सर्वसम्मति से सहमति दी। राष्ट्रपति ने भी इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में 12 वर्ष तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर मृत्युदण्ड का प्रावधान है। कानून का कठोर होना अच्छी बात है। कानून का भय और भी अच्छी बात है लेकिन समाज का मूकदर्शक हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आधुनिक बाजार संचालित समाज में मुनाफा और उपयोगिता ही स्वर्णसूत्र है। वरिष्ठ, वृद्व, आचार्य और माता-पिता अनुपयोगी है।

उचित सामाजीकरण

बाल एवं किशोरों का सामाजीकरण उचित ढंग से होना चाहिए प्रामाणिक किशोर युवा का निर्माण माता-पिता, आचार्य, नेता और समाज का दायित्व है। जघन्य अपराधों में वृद्वि कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं करती है। किशोर अपराध वृद्वि के अनेकानेक कारण होते है। इसलिए अपने सदस्यों को उच्चतर जीवन आदर्श देना समाज की ही जिम्मेदारी है लेकिन समाज तटस्थ है। भारत का मन कभी भी ंिहंसक नहीं रहा, लेकिन पिछले दो दशक से यहाँ किशोर अपराध एवं तनाव का वातावरण रहा है। बच्चे टीवी के भरोसे है। आचार्य, माता-पिता, धर्मगुरू, सामाजिक कार्यकर्ता आगे आये। सामाजिक मर्यादा का भय होगा तभी कानून का भय होगा।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि बाल और किशोर अपराध निरोध तथा नियंत्रण विषयक सभी पक्षों के सम्बन्ध में स्वस्थ सार्वजनिक नीति के लिये नियोजन तथा आनुभविक विधि द्वारा मूल्यांकन दोनों की आवश्यकता हैं। इसके लिये सरकारी एजेन्सियों (जैसे समाज-कल्याण विभाग), शैक्षिक संस्थाओं, पुलिस, न्याय-पालिका, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच समजंस्य की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *सिंह श्यामधर- अपराधशास्त्र के सिद्वान्त, सपना अशोक प्रकाशन वाराणसी, 2008.*
2. *सिंह श्यामधर एवं सिहं मीरा- सामाजिक समस्याओं का समाजशास्त्र, सपना अशोक प्रकाशन, रामनगर, वाराणसी, 2011.*
3. *महाजन धर्मवीर एवं महाजन कमलेश- समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, 2015.*
4. *राष्ट्रीय अपराध ब्यूरों- गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2021.*
5. *आहूजा राम एवं आहूजा मुकेश - विवेचनात्मक अपराधशास्त्र, रावत पब्लिकेशन जयपुर।*
6. *आहूजा राम- भारत में सामाजिक समस्या, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1992.*
7. *मानव अधिकार आयोग नयी दिल्ली 2020.*